



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052020-219555
CG-DL-E-26052020-219555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2020/ज्येष्ठ 5, 1942

No. 1490]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2020/JYAISHTHA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2020

का.आ. 1657(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1 के साथ पठित उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 3330(अ) तारीख 17 सितम्बर, 2019 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"2. तरुण बजाज

सदस्य"

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार।

[फा.सं. 2/12/2012-आर.ई.]

आनन्द मोहन बजाज, अपर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 21.02.1992 के का.आ. 147(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी तथा उसमें का.आ. 821(अ) दिनांक 05.11.1992 के माध्यम से संशोधित की गई, का.आ. 483(अ) दिनांक 05.07.1993, का.आ. 632(अ) दिनांक 12.7.1995, का.आ. 450(अ) दिनांक 21.06.1996, का.आ. 644(अ) दिनांक 19.09.1996, का.आ. 89(अ) दिनांक 31.01.2001, का.आ. 573(अ) दिनांक 28.05.2002, का.आ. 1805(अ) दिनांक 23.12.2005, का.आ. 2245(अ) दिनांक 03.09.2010, का.आ. 1985(अ) दिनांक 24.08.2012, का.आ. 2931(अ) दिनांक 12.11.2014, का.आ. 2889(अ) दिनांक 20.10.2015, का.आ. 2419(अ) दिनांक 28.07.2017, का.आ. 17(अ) दिनांक 02.01.2019 और दिनांक 17.09.2019 के का.आ. 3330 (अ) की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2020

S.O. 1657(E).—In exercise of powers conferred by Sub-Section 4 read with Sub-Section 1 of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 3330(E) dated 17th September 2019 namely:-

In the said Notification, against serial number 2 and the entries relating thereto, the following entry shall be substituted, namely:-

“2. Tarun Bajaj
 Secretary,
 Department of Economic Affairs,
 Ministry of Finance,
 Government of India.

Member”

[F. No. 2/12/2012-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Foot Note : The Principal Notification was published *vide* S.O. 147(E) dated 21.02.1992 and amended *vide* Notification No. S.O. 821(E) dated 05.11.1992, S.O. 483(E) dated 05.07.1993, S.O. 632(E) dated 12.07.1995, S.O. 450(E) dated 21.06.1996, S.O. 644(E) dated 19.09.1996, S.O. 89(E) dated 31.01.2001, S.O. 573(E) dated 28.05.2002, S.O. 1805(E) dated 23.12.2005, S.O. 2245(E) dated 03.09.2010, S.O. 1985(E) dated 24.08.2012, S.O. 2931(E) dated 12.11.2014, S.O. 2889(E) dated 20.10.2015, S.O. 2419(E) dated 28.07.2017, S.O. 17(E) dated 02.01.2019 and S.O. 3330(E) dated 17.09.2019